कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना, जमुई

(Email- mdmjamui@gmail.com & mdmjamuibank@gmail.com)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

बिहार सरकार

संवेदक चयन से सम्बन्धित विज्ञापन
निविदा आमंत्रण सूचना

पत्रांक 172 जमुई, दिनांक 30/06/2016

मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत जमुई जिले के गिद्धौर, जमुई एवं झाझा प्रखण्डों में मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में सम्बन्धित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव कर प्रखण्ड के विद्यालयों तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए संवेदक का चयन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें निम्नांकित होगी :–

01. संवेदक के चयन हेतु जिला स्तर पर सामाचार पत्र मे निविदा प्रकाशित की जाएगी तथा वैसे संवेदकों का चयन किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हो :–
    - वाहन का पंजीयन जमुई जिला का होना चाहिए।
    - वाहन कमिंशियल होना जरूरी है।
    - वाहन का परमिट सक्षम प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए।
    - वाहन का फिटनेस तथा इन्श्योरेंस अनिवार्य है।
    - टैक्स भुगतान अद्यतन होना चाहिए।
    - चयनित होने के पश्चात् यदि किसी कारणवश/दुर्घटनावश वे अपना स्वयं के वाहन को बेचते है और दुसरा वाहन खरीदते है तो इसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी।
    - **वाहन से सम्बन्धित सभी अद्यतन आवश्यक कागजात–यथा ऑनर बुक, इश्योरेंस एवं टैक्स टोकन की सभी छायाप्रति को अभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से सम्बन्धित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। निविदा में संलग्न किये जाने वाले सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।**

02. 15 पंचायत तक के प्रखण्ड हेतु कम से कम 5 ट्रक/ट्रैक्टर–टेलर, पिकअप भान सहित एवं 15 से अधिक पंचायत वाले प्रखण्ड हेतु 8 ट्रक/ट्रैक्टर–टेलर, पिकअप भान सहित के मालिक के इस आशय का एकरारनामा सम्पन करके निविदा मे प्रस्तुत करना होगा कि संवेदक के रूप में निविदादाता का चयन होने की स्थिति मे वे अपना वाहन एवं चालक इत्यादि खाद्यान्न ढुलाई हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे।

03. निविदादाता को निविदा के साथ पचास हजार रूपए का बैंक गारंटी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जमुई के पक्ष में निविदा के साथ जमा करना होगा। बैंक की गारंटी की वैद्यता दिनांक 31.03.2017 तक होना चाहिए।

04. निविदादाता को निविदा के साथ आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय से छह महीने के अन्दर का निर्गत किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति मे) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

05. निविदादाता को दस हजार रूपए का अग्रिम सुरक्षित जमा राशि का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जमुई के नाम से निर्गत होना चाहिए। संवेदक की सेवा जारी रहने तक सुरक्षित जमा राशि कार्यालय में जमा रहेगा।

06. एस०एफ०सी० गोदाम से चावल का उठाव चयनित संवेदक एवं प्रखण्ड साधन सेवी, मध्याह्न भोजन योजना के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। उठाव किये गये खाद्यान्न की प्रविष्टि उठाव के समय ही संवेदक एवं प्रखण्ड साधन सेवी के द्वारा एस० आई० ओ० पर दी जाएगी। चावल की मात्रा एवं गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधन सेवी एवं चयनित संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। संवेदक को चावल उठाव हेतु वाहन, ईंधन एवं लगने वाले हथालन–परिवहन आदि की व्यवस्था करनी होगी। संवेदक प्रखण्ड साधन सेवी से प्राप्त विद्यालयवार खाद्यान्न एडवाईस के अनुसार सम्बन्धित विद्यालयों को चावल विद्यालय के स्टोर तक पहुँचायेंगे तथा विहित प्रपत्र में विद्यालय के प्रधानाध्यापक से चावल का प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। संवेदक के द्वारा चावल का वजन इलेक्ट्रॉनिक कॉटा पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सामने करके दिया जाएगा। विद्यालय से प्राप्त खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद तुरंत संवेदक के द्वारा प्रखण्ड साधन सेवी को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रखण्ड साधन सेवी के द्वारा विद्यालय में संवेदक के द्वारा पहुँचाव किये गये चावल के सम्बन्ध में पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खाद्यान्न प्राप्ति रसीद की छायाप्रति के साथ हथालन एवं परिवहन की राशि हेतु विपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जमुई को भेजेगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने स्तर से संतुष्ट होने के उपरांत प्रति क्विंटल 40/ की दर से हथालन एवं परिवहन की राशि का भुगतान करेंगे।

07. एस० एफ० सी० गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या किसी अन्य कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली संवेदक से की जाएगी।

27/6/16

08. चयनित निविदादाता को खाद्यान्न की ढुलाई हेतु केवल उसी वाहन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिसका एकरारनामा निविदा के साथ निविदादाता के द्वारा दिया गया हैं ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहनो पर मध्याह्न भोजन योजना, जमुई का बैनर रखना अनिवार्य होगा। वाहन पर बैनर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0 भो0 यो0 एवं प्रखण्ड साधन सेवी, म0 भो0 यो0 का मोबाईल नं0 भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।

09. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में सम्बन्धित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0 एफ0 सी0 गोदाम पर आना होगा।

10. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संविदा रद्द करते हुए कार्यालय में जमा राशि की जप्त कर एवं कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है।

11. वाहन मालिक से एकरारनामा स्टाम्प पेपर (नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर) पर किया जाएगा तथा प्रत्येक वाहन मालिक का एकरारनामा पृथक–पृथक स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा। एक वाहन का एकरारनामा किसी एक ही निविदादाता के साथ मान्य होगा। एक से अधिक निविदादाता के साथ एकरारनामा की स्थिति में सम्बन्धित वाहन मालिक का सभी एकरारनामा रद्द माना जाएगा।

12. निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नहीं होने का शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

13. निविदादाता को इस आशय का मूलरूप में शपथ–पत्र देना होगा कि उन्हें या उनके फर्म को किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नही डाला गया है।

14. निविदा से सम्बन्धित जानकारी जिला कार्यालय/वेबसाईट से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.jamui.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

15. निविदा की शर्ते को शिथिल करने या संशोधित करने तथा निविदा किसी भी समय रद्द करने का अधिकार चयन समिति का होगा।

16. एक से अधिक योग्य आवेदक होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से संवेदक का चयन किया जाएगा।

17. अन्य शर्ते चयनित संवेदकों के साथ एकरारनामा में दिया जायेगा।

18. **बंद लिफाफे के ऊपर बड़े–बड़े अक्षरों में आवेदित प्रखण्ड का नाम तथा आवेदक का नाम एवं मोबाईल नम्बर बड़े–बड़े अक्षरों में एवं साफ–साफ लिखा होना चाहिए। आवेदन के साथ दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।**

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी
मध्याह्न भोजन योजना–सह–सचिव	–सह–सदस्य–	–सह–अध्यक्ष–
जिला स्तरीय चयन समिति,	जमुई जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई	जिला स्तरीय चयन समिति, जमुई